

प्रपत्र- 2.15(3)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिगखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग		
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक			
1	उनेरी	श्रीदही	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	02
		कालभार	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	02
		रानी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		उरुकोर	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		शाम	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
		उनेरी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
		श्रीदही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00
		श्रीदही	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	08

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/-  ह0/-  ह0/- 

वन विभागाधिकारी
उत्तराखण्ड वन क्षेत्र
कन्यालीकोट प्रभाग

(राज्य वनाधिकारी)
कन्यालीकोट (सकलूला)

प्रभागीय वनाधिकारी
(प्रभागीय वनाधिकारी) का
द्वारा 18/09/19

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, सी० नि० कि०
कपकोट

वन विभागाधिकारी
कन्यालीकोट प्रभाग

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(6)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाना है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 112 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 112 वृक्षों का पातन किया जाना है।

80/- अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी कभकोट (भाग 1R)

80/- अधिसारी अभियन्ता
राज्य अधिकारी (रस्ता)

80/- अधिसारी अभियन्ता
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी
भारतखण्ड वन क्षेत्र
कभकोट वन प्रभाग

80/- अधिसारी अभियन्ता
वास्तविक

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।